# राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

174

क्रमांक : प. 1 (4–85 III)संविदा/नियुक्ति/ दिनांक :

## कार्यालय आदेश

बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 40 दिनांक 24.10.2018 की पालना में बोर्ड में रिक्त पदों के विरूद्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर पुर्ननियुक्ति दिये जाने के संबंध में बोर्ड के सेवा उप नियम IV के उप नियम 21 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान किया गया है :–

1. सेवानिवृत्त कार्मिक को संविदा पर पुर्ननियुक्ति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रचलित/समय–समय पर संशोधित नियम बोर्ड में लागू रहेगे।
2. पुर्ननियुक्ति एक वर्ष अथवा उस संवर्ग में नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक अथवा बोर्ड को कार्मिक की आवश्यकता होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए की जावेगी।
3. एक वर्ष पश्चात कार्मिक की सेवाओं का विस्तार संतोषजनक सेवा पाए जाने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17 (10) डी.ओ.पी./ए द्वितीय/94 दिनांक 08.02.2018 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार/बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी (शारिरिक रूप से/ चिकित्साकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही ) से भरी जा सकेगी।
4. सेवानिवृत्त कार्मिकों को समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा पेंशन नियम, 1996 के नियम 164क तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू होगें।

उपरोक्तानुसार पुर्ननियुक्ति दिये जाने की पूर्ण शक्तियां प्रशासक बोर्ड में निहित होंगी।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

क्रमांक : प. 1 (4–85 III)संविदा/नियुक्ति/10789–10837 दिनांक : 24/10/18

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्टि सहायक माननीय कृषि विपणन मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोन प्रथम/द्वितीय जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त...............।
7. अधिषाशी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त................।
8. एसीपी, उप निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, राजस्थान राज्य कृषि बिपणन बोर्ड, जयपुर को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. शाखा प्रभारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त....P.H.M
10. आरक्षित पत्रावली।

महाप्रबंधक (प्रशासन)